न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील/96/2023

अपींलाट वगतावरसिंह पुत्र जगराम
निवासी गांव हदोंणियों की ढाणी पंचायत हिरा की ढाणी तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गिडा

आदेश

दिनांक : 10.07.2022

अपीलांट वगतावरसिंह पुत्र जगराम निवासी गांव हदोंणियों की ढाणी पंचायत हिरा की ढाणी तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता तहसीलदार गिडा के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय मे दिनांक 08.06.2023 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना-पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन द्वारा प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र की प्रति एवं शुल्क रूपये 10/- का पोस्टल ऑर्डर संख्या 942761 दिनांक 01.05.2023 का प्रतिपर्ण संलग्न किया गया है।

अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गिडा को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट की ओर से नियत तिथी को कोई जवाब/टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई।

हमने अपीलांट की अपीलएवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो एवं सूचना का अधिकार प्रार्थना-पत्र में भू-अभिलेख से सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रतिलिपियां चाही गई हैं, जिसके लिये पृथक से राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 प्रचलित हैं तथा निर्धारित दर अनुसार शुल्क संदाय कर सूचना प्राप्त की जा सकती हैं। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अवलोकन एवं विवेचन उपरांत सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलांट की यह अपील सारहीन [illegible] खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय [illegible] अपीलांट एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arun Kumar Purohit
Date: 2023.07.21 12:29:08 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 10.07.2022 को न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर